

17-6-20

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपास्थित।  
पैरिसीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/  
धारा - 144 ..... होने से  
पत्रावली दिनांक 29-7-20 को पेश होवे।

*[Signature]*

27-7-20

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपास्थित।  
पैरिसीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/  
धारा - 144 ..... होने से  
पत्रावली दिनांक 28-9-20 को पेश होवे।

*[Signature]*

31-7-20

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपास्थित।  
पैरिसीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/  
धारा - 144 ..... होने से  
पत्रावली दिनांक 11-11-20 को पेश होवे।

*[Signature]*

11-12-20

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपास्थित।  
पैरिसीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/  
धारा - 144 ..... होने से  
पत्रावली दिनांक 17-12-20 को पेश होवे।

*[Signature]*

17-12-20

पत्रावली पेश हुई। वादी पक्ष  
अनुपस्थित। प्रतिवादी पक्ष  
उपस्थित। वाद प्रतिवादी  
आधिकारता द्वारा अस्वीकार  
किया गया। अतः CPC O-9  
R-8 के तहत वाद खारिज  
किया जाता है। पत्रावली संख्या  
से कम होकर दायित्व दफ्तर की जाती है।

